संलग्नक क्र.04 (1)

कार्यवाही विवरण

गारे पेलमा सेक्टर–I, मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्र में ओपनकास्ट सह भूमिगत कोयला खदान (क्षेत्र–3020 हेक्टेयर जिसकी उत्पादन क्षमता 15 एमटीपीए है) मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड स्थित ग्राम – बुढ़िया, रायपारा, आमगांव, खुरुसलेंगा, धौराभाटा, बिजना, लिबरा, महलोई, बागबाड़ी, झिकाबहाल, तिलाईपारा, समकेरा, झरना और टांगरघाट, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़, (छ.ग.) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 08.12.2025 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार गारे पेलमा सेक्टर–I, मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्र में ओपनकास्ट सह भूमिगत कोयला खदान (क्षेत्र–3020 हेक्टेयर जिसकी उत्पादन क्षमता 15 एमटीपीए है) मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड स्थित ग्राम – बुढ़िया, रायपारा, आमगांव, खुरुसलेंगा, धौराभाटा, बिजना, लिबरा, महलोई, बागबाड़ी, झिकाबहाल, तिलाईपारा, समकेरा, झरना और टांगरघाट, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़, (छ.ग.) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 08.12.2025, दिन–सोमवार को प्रातः 11:00 बजे से स्थल–साप्ताहिक बाजार का मैदान (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप) ग्राम–धौराभाठा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अपर कलेक्टर, रायगढ़ की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रारंभ की गई।

पीठासीन अधिकारी – मैं अपूर्व प्रियेश टोप्पो, अपर कलेक्टर जिला–रायगढ़ (छ.ग.) आज की लोकसुनवाई का पीठासीन अधिकारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज गारे पेलमा सेक्टर–I, मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्र में ओपनकास्ट सह भूमिगत कोयला खदान (क्षेत्र–3020 हेक्टेयर जिसकी उत्पादन क्षमता 15 एमटीपीए है) मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड स्थित ग्राम – बुढ़िया, रायपारा, आमगांव, खुरुसलेंगा, धौराभाटा, बिजना, लिबरा, महलोई, बागबाड़ी, झिकाबहाल, तिलाईपारा, समकेरा, झरना और टांगरघाट, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़, (छ.ग.) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मण्डल के श्री नवीन चंद्र मालवीय इसका संक्षिप्त जानकरी आप लोगो के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।

क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायगढ़ के द्वारा अवगत कराया गया भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा गारे पेलमा सेक्टर–I, मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्र में ओपनकास्ट सह भूमिगत कोयला खदान (क्षेत्र–3020 हेक्टेयर जिसकी उत्पादन क्षमता 15 एमटीपीए है) मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड स्थित ग्राम – बुढ़िया, रायपारा, आमगांव, खुरुसलेंगा, धौराभाटा, बिजना, लिबरा, महलोई, बागबाड़ी, झिकाबहाल, तिलाईपारा, समकेरा, झरना और टांगरघाट, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़, (छ.ग.) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई जिला–रायगढ़ (छ.ग.) हेतु दिनांक 28.04.2025 को TOR जारी किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त परियोजना के लिये लोक सुनवाई कराने हेतु मण्डल मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में दिनांक 13.06.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया

गया। सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर के पत्र क्रमांक 9249 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु तिथि, स्थल एवं समय निर्धारित की गई। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, गारे पेलमा सेक्टर–I, मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्र में ओपनकास्ट सह भूमिगत कोयला खदान (क्षेत्र–3020 हेक्टेयर जिसकी उत्पादन क्षमता 15 एमटीपीए है) मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड स्थित ग्राम – बुढ़िया, रायपारा, आमगांव, खुरुसलेंगा, धौराभाटा, बिजना, लिबरा, महलोई, बागबाड़ी, झिकाबहाल, तिलाईपारा, समकेरा, झरना और टांगरघाट, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़, (छ.ग.) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा **दिनांक 08.12.2025, दिन–सोमवार को प्रातः 11:00 बजे से स्थल–साप्ताहिक बाजार का मैदान (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप) ग्राम–धौराभाठा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में नियत किया जाकर परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित करने बाबत् नोटिफिकेशन के प्रावधानों के अनुसार निम्न कार्यवाही की गईः– लोक सुनवाई की सूचना का प्रथम प्रकाशन नियमानुसार 30 दिन पूर्व निम्न राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में कराया गया :– इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 12.09.2025, दैनिक भास्कर दिनांक 12.09.2025, इस्पात टाईम्स दिनांक 12.09.2025। लोक सुनवाई की सूचना का द्वितीय प्रकाशन नियमानुसार 15 दिन पूर्व निम्न राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में कराया गया :– फाईनेंशियल एक्सप्रेस दिनांक 21.11.2025, नई दुनिया दिनांक 21.11.2025, जनकर्म दिनांक 21.11.2025। पत्र क्रमांक 2054, दिनांक 20.11.2025 के माध्यम से लोक सुनवाई की सूचना निम्न स्थानों पर दी गई :– कार्यालय ग्राम पंचायत – बुढ़िया, समकेरा, आंमगांव, खुरूसलेंगा, धौराभांठा, बिजना, लिबरा, महलोई, झिंकाबहाल, झरना, टांगरघाट, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) पूर्व में कार्यालय के पत्र क्रमांक 1472, दिनांक 11.09.2025 के माध्यम से ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, सार रिपोर्ट की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति तथा सी.डी. निम्न स्थानों पर रखी गई :– कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.), कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–रायगढ़ (छ.ग.), कार्यालय, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–रायगढ़ (छ.ग.), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.), क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायगढ़ (छ.ग.), सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत–बुढ़िया, समकेरा, आंमगांव, खुरूसलेंगा, धौराभांठा, बिजना, लिबरा, महलोई, झिंकाबहाल, झरना, टांगरघाट, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.), सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

पीठासीन अधिकारी :– इस प्रोजेक्ट के परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित करता हूं की इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और रोकथम के उपाय और अन्य आवश्यक मुद्दों से आम जनता को अवगत करायें।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि श्री राजेश दुबे, वाईस प्रेसिडेंट माईन्स :– यहां पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों, माताओं, बहनो को मेरा सादर प्रणाम, यहा पर उपस्थित ए.डी.एम. साहब श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, सी.ई. सी.बी. अधिकारी श्री नवीन चंद्र मालवीय एवं समस्त शासकीय छ.ग. प्रशासन के और छ.ग. पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को मेरा प्रणाम। जिंदल पावॅर गारे पेलमा सेक्टर–1 कोल माईन, तमनार तहसील 14 गावों में पहली विकास की प्रमुख परियोजना है जिसका कुल क्षेत्रफल 3020 हेक्टेयर है यह खदान ओपन कास्ट एवं अंडरग्राउण्ड दोनो तरीको से संचालित की जाने के लिये डिजाईन की गई है जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष है ओपनकास्ट खनन की अवधि 31 वर्ष एवं अंडरग्राउण्ड खनन की अवधि 50 वर्ष तय की गई है, इस पैमाने की वजह से यह परियोजना क्षेत्रीय विकास, राज्य, देश की जरूरतों को पूरा करने के लिये महत्वपूर्ण योजना देगी, महत्वपूर्ण योगदान देगी। यह परियोजना देश के लिये भी इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घरेलू उर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बाहरी कोयले पर निर्भरता को कम करेगी। परियोजना शुरू होने के बाद सरकार को हर वर्ष लगभग 830 करोड़ रूपये का योगदान मिलेगा रायल्टी रेवेन्यू, शेयर, डी.एम.एफ., एन.एम.ई.टी., जी.एस.टी. और सी.एस.आर. के माध्यम से। परियोजना क्षेत्र के परिवारों को लगभग 2500–3500 करोड़ भूमि मुआवजे के रूप में प्राप्त होंगे। इस भूमि का अधिग्रहण सरकार के नये संशोधित रेट के अनुसार किया जायेगा और प्रभावित परिवारो को उचित दर का 4 गुना मुआवजा दिया जायेगा ताकि सभी को उचित मूल्य मिल सके। पुनर्वास की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ एण्ड आर.एन.आर. पॉलिसी 2025 संशोधन के अनुसार होगी। अभी मैने सभी विषयों पर प्रकाश डाला अब मैं हमारे पर्यावरण के कंसलटेंट को आमंत्रित करता हूँ कि ये पर्यावरण और परियोजना के बाकी प्वाईंट पर पूरा प्रकाश डालेंगे।

श्री बी.आर. चौधरी कंसलटेंट :– माननीय ए.डी.एम. साहब, आर.ओ. साहब छत्तीसगढ़ इन्वायरमेंट कंजरवेशन बोर्ड एवं यहां उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आस–पास के गांव के पधारे जनप्रतिनिधिगण एवं उपस्थित सभी नागरिकगण एवं सभी माता–बहनों सभी का मैं आज बी.आर. चौधरी इस प्रस्तावित लोकसुनवाई जिंदल पॉवर लिमिटेड की जनसुनवाई में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जनसुनवाई आज प्रस्तावित गारे पेलमा सेक्टर 1 कोयला खदान इसका क्षेत्रफल 3020 हेक्टेयर है इसका संयुक्त कोयला उत्पादन क्षमता ओपनकास्ट एवं भूमिगत खनन द्वारा 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष है अधिकतम एवं इसमें दोनो तरह की माईनिंग ओपन कास्ट एवं अंडरग्राउण्ड से। ओपनकास्ट से अधिकतम उत्पादन क्षमता 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी भूमिगत द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता 02 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी ऐसे कुल मिलकार संयुक्त रूप से 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता होगी और ये माईनिंग लीज एरिया 14 गांव में स्थित है जिसमें आंमगांव, धौराभांठा, झिंगाबहाल, तिलाईपारा, बिजना, बुढ़िया, बागबाड़ी, महलोई, रायपारा, झरना, खुरूसलेंगा, समकेरा, टांगरघाट, तहसील–तमनार, रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित है। जिंदल पॉवर लिमिटेड एक कंपनी है पॉवर प्लांट में जिसका 4300 मेगावाट पॉवर प्लांट के साथ में और इसका 45 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोयला की खदानें है और 11.55 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोयला की कोल वॉशरी भी है और इसमें प्रोजेक्ट में कोयला माईन्स में प्लांट तक कन्वेयर बेल्ट के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। ये माईनिंग लीज एरिया

जिसमें 3020 हेक्टेयर एरिया है इसको पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से लेना आवश्यक है इसका एरिया 500 हेक्टेयर से ज्यादा है इसलिये ये ए केटेगिरी में आता है इसलिये इसका दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। इस तरह इस क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी भूमि 2360.175 हेक्टेयर है, निजी भूमि 2164.48 हेक्टेयर है, वन भूमि 119.277 हेक्टेयर है जिसमें राजस्व भूमि 77.093 हेक्टेयर है और संरक्षित वन भूमि 42.184 हेक्टेयर है और इस माईन्स का भारत सरकार से कोयला मंत्रालय द्वारा 08 जून 2023 को किया गया और कोयला मंत्रालय द्वारा इसका माईनिंग प्लान एप्रुव किया गया। फारेस्ट डायवर्सन के लिये एप्लिकेशन भारत सरकार से आवेदन मंत्रालय में किया गया है और इस परियोजना के लिये आवश्यक जो ग्राउण्ड वाटर है उसके लिये सी.जी.डब्ल्यू.ए. से एन.ओ.सी. ले ली गई है तो पर्यावरण स्वीकृति के लिये सबसे पहले जो फालो करना पड़ता है प्रोसेस टी.ओ.आर. के लिये एप्लिकेशन भारत सरकार एवं वन मंत्रालय को आवेदन किया गया है जिससे 03 अप्रेल 2025 को इसकी सुनवाई हुई जिसके बेसिस पर टी.ओ.आर. जारी किया गया भारत सरकार वन मंत्रालय द्वारा 14 अप्रेल 2025 को और इसका 03 महिने का अध्ययन ग्रीष्म ऋतु मार्च–मई 2024 में किया गया और इसके बेसिस पर ड्राफ्ट ई.आई.ए. बनाकर पब्लिक हियरिंग के लिये प्रस्तुत की गई और जिस परियोजना के लिये इन्वायरमेंट क्षेत्र में आस–पास जो गांव है, निकटतम राजमार्ग है, निकटतम रेलवे स्टेशन रायगढ़ रेलवे स्टेशन है, निकटतम हवाई अड्डा झारसुगुड़ा है, एलिफेंट कारिडोर 6.4 किलोमीटर पर स्थित है और इस परियोजना के अंदर नाला जो लीज एरिया में बिलांग करता है जिसको डायवर्ट किया जायेगा 15 साल के बाद में और एक रिवर है केलो रिवर है जो लीज एरिया के बाउण्ड्री में है जिसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इस परियोजना के लिये जो आवश्यक जो जल की आवश्यकता है 2693 किलोलीटर प्रतिदिन है और उसके लिये जो जल स्त्रोत है वह भू–जल है और इसके लिये परमिशन आलरेडी सी.जी.डब्ल्यू.ए. से ले ली गई है और उसको इंटरसेक्शन से पहले भी उसको यूज किया जायेगा। उर्जा की आवश्यकता 30 एम.व्ही.ए. है जो जे.पी.एल. के पॉवर प्लांट से लिया जायेगा। जनशक्ति की आवश्यकता है 2128 की जो स्थानीय लोगो को प्राथमिकता दी जायेगी उनके योग्यता के अनुसार। परियोजना की लागत 9504.7 करोड़ है जो पर्यावरण प्रबंधन के लिये जो पूंजीगत लागत है वो 73.43 करोड़ है आवर्ती लागत 9.25 करोड़ रूपये है और इस खान के अंदर जो रिजर्व है इसके लिये जो विधि है वह ओपनकास्ट एवं अंडरग्राउण्ड दोनो होगी जो पूर्ण तरीके से मशीनरी ओपन कास्ट कोल माईन होगी इसमें जो कुल भण्डार 1034.12 मिलियन टन है जिसमें कुल निकालने योग्य भण्डार 426.30 और इस खनन की आयु ओपनकास्ट के लिये 31 वर्ष है भूमिगत 49 वर्ष है और कुल मिलाकर 67 वर्ष है इसमें फारेस्ट सीमाओं की संख्या जो है ओपन कास्ट के लिये वो 19 है भूमिगत के लिये 5 है जो उसकी थिकनेस है वह 0.04 से 17.16 मीटर और गहराई इस खदान की ओपन कास्ट के लिये 295 मीटर है और भूमिगत के लिये 450 मीटर है। इसमें 1.7:7.38 का रेशियो रहेगा। और इस माईनिंग लीज एरिया का पूरा प्रोसेस ओपन कास्ट जिसे ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग की जायेगी कोल खनन के लिये। और कोयला को निकाल करके पाईप कन्व्हेयर बेल्ट के थ्रू प्लांट को जायेगा और सरप्लस कोल रेल्वे साईडिंग के थ्रू होगा और अंडरग्राउण्ड माईनिंग की जायेगी और इसमें वन भूमि का डायवर्जन है सड़क का डायवर्जन है जिसमें 3670 मीटर है, 17320

मीटर है, 49 मीटर इसको डायवर्ट करके कनेक्ट किया जायेगा और ऐसे डायवर्टेड रोड है जो 9645 मीटर, 13330 मीटर, 6325 मीटर के साथ डायवर्ट किया जायेगा। इसी के साथ सड़क जिसमें कोयला परिवहन होता है उसको भी डायवर्ट किया जायेगा और इसके परमिशनस के लिए एप्लाई किया जायेगा। एस.पी. लाईन है 220 किलोवाट जिसकी 5400 मीटर से निकलती है उसको 7 किलोमीटर के साथ डायवर्ट किया जायेगा। इसका जो पोस्ट माईनिंग लैण्ड लीज जो माईनिंग में 3020 हेक्टेयर में है। इसमें माईन में काफी वेस्ट निकलेगा जिसको 3032 हेक्टेयर के एरिया में डंप किया जायेगा और उसमें प्लांटेशन किया जायेगा। इसमें जो अध्ययन किया गया है उसमें डायरेक्शन उत्तर–पूर्व दिशा है। 17 नमूनो पर एयर, वाटर, साईल, नाईस का अध्ययन किया गया है जो सी.पी.सी.बी. गाईडलाईन और एम.ओ.ई.एफ. के कम्प्लाईन्स के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार इसका जो परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन है उसके लिये जल छिड़काव किया जायेगा और एडवांस टेक्नोलाजी से माईनिंग की जायेगी और जो भी पाल्युशन होगा उसको विधिवत मेंटेनेंस किया जायेगा और रेगुलर मानीटरिंग की जायेगी और इसी प्रकार वेस्ट वॉटर के लिये एस.टी.पी. लगाई जायेगी और ई.टी.पी. भी लगाया जायेगा और प्लांटेशन भी किया जायेगा। इस माईनिंग लीज एरिया में कुल 67.84 मिलियन टन उपरी परत निकलेगी जिसे डंप किया जायेगा और उस पर प्लांटेशन किया जायेगा। टोटल 2347.07 मिलियन घनमीटर वेस्ट निकलेगा जिसमें 848.51 घनमीटर वेस्ट को डंप किया जायेगा और प्लांटेशन किया जायेगा और बाकी के 1550 मिलियन टन को को बैग फिल्टर किया जायेगा और प्लांटेशन किया जायेगा। हरित पट्टी का टोटल स्टैडर्ड 2335.400 हेक्टेयर है जिसमें प्लांटेशन किया जायेगा इस तरह 3842876 पौधे लगाये जायेंगे और सी.एस.आर. के तहत मुआवजा भी दिया जायेगा और इसके लिये सी.एस. आर. और सी.आर. के तहत कार्य किया जायेगा इसी के साथ धन्यवाद।

पीठासीन अधिकारी :– परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजन, परिवारजन, पंचायत के प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधि, एन.जी.ओ. के लोग, समुदायिक संस्थान, पत्रकारगण और जन सामान्य आदि से अनुरोध है कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार और आपत्तियां लिखित या मौखिक में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है। आपके द्वारा जो भी बातें बताई जायेंगी, जो भी तथ्य यहां रखे जायेंगे उसका लिखित रिकॉड रहेगा अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी और जो भी आपके सुझाव रहेंगी, आपत्तियां रहेंगी, जो भी मुद्दे रहेंगे उसके जवाब के स्वरूप में जो परियोजना प्रस्तावक हैं और पर्यावरण सलाहकार हैं वो बिन्दुवार उसका स्पष्टीकरण भी देंगें,। इसमें आप लोग आश्वस्थ रहें की संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी। अतः आपसे निवेदन है कि आपके जो भी सुझाव, विचार, आपत्तियां है उसको आप संक्षिप्त में सारगर्भित रूप से तथ्यात्मक रूप से रखें ताकि सभी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिल सके और विशेष निवेदन रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगें शांति व्यवस्था को बनाये रखेंगें। कृपया एक–एक करके अपनी बात रखे।

इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. छबिशंकर गुप्ता, धौराभांठा, – मैं इस पर्यावरण पब्लिक हियरिंग का समर्थन करता हूँ।
2. कोदामी पटनायक – लिबरा – लिबरा में माईन्स आने से बहुत विकास हुआ है जैसे सी.सी. रोड बना है, सामुदायिक भवन बना है, गांव में बोर हुआ है, पानी की सुविधा हुआ है। जो बहुत समय से तालाब गंदा था उस तालाब का गहरीकरण हुआ है और गांव में छोटे–छोटे बच्चे आस–पास का जितना है झरना, झिंकाबहाल, कोसमपाली, सारसमाल से पड़ने आय है बच्चे लोग उन लोगो का विकास हुआ है और जिंदल आने से रोजगार मिला है जो लोग नहीं पढ़े है वो लोग भी काम करने जा रहे है इसलिये मैं तहेदिल से जिंदल को धन्यवाद देती हूँ और जिंदल को समर्थन करती हूँ।
3. निलम चौहान, टपरंगा – मैं जिंदल को समर्थन करती हूँ। जब से जिंदल आया है तब से रोड भी अच्छा बना है, पानी की सुविधा भी है, टंकी भी बना है, लिटिल एंजल स्कूल भी बना है और गरीब–दुःखी का भी भला हो रहा है, ईलाज हो रहा है बस मैं इतना कहना चाहती हूँ।
4. सुभासिनी गुप्ता, लिबरा – मैं जिंदल का समर्थन करती हूँ क्योंकि गांव में जिंदल बहुत सारा विकास कार्य किया है, सी.सी. रोड, पानी, लिटिल एंजल स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा सब में ध्यान देता है, पर्यावरण में पेड़–पौधा भी लगाया है इसके लिये मैं समर्थन करती हूँ।
5. दयानंद पटनायक, लिबरा – पर्यावरणीय जनसुनवाई सेक्टर 1 का मैं समर्थन करने आया हूँ कोयला खदान खुलने से निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेंगे क्योंकि मैं गाड़ी मालिक का मुखिया हूँ गाड़ियो को रोजगार मिलेगा, गाड़ियों को और बढ़ा सकते है इस तरह से कई प्रकार का रोजगार मिलेगा इसलिये समर्थन देता हूँ।
6. प्रेम कुमार सिदार – मैं जिंदल की जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ।
7. शिवपाल भगत, सारसमाल – ये जो सेक्टर 1 का जनसुनवाई हो रहा है पर्यावरणीय लोकसुनवाई इसका मैं समर्थन करता हूँ। यहां कोयला खदान खुलने से यहा आस–पास के जितने भी पब्लिक है बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा और कोई ठेकेदारी में कर रहे है उनको स्थाई रोजगार दिया जायेगा।
8. राजश्री सिदार, आमगांव – मैं जनसुनवाई का विरोध करती हूँ क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा।
9. विदेसिनी यादव – मैं जनसुनवाई का विरोध करती हूँ क्योंकि हमारा जमीन चला जा रहा है।
10. कौशल्या सिदार, कोसमपाली – मैं जिंदल का समर्थन करती हूँ।
11. रूकमणी पटनायक, तमनार – मैं जिंदल का समर्थन करती हूँ।

12. ममता शर्मा, चितवाही – मैं जिंदल का समर्थन करती हूँ।

13. श्यामा उरांव – मैं जिंदल का समर्थन करती हूँ।

14. दीप्ति रेखा पटनायक, ढोलेसरा – मैं जिंदल का समर्थन करती हूँ उसी से हमारा घर चलता है, हमारे बच्चे लोगो के पढ़ाई में सुविधा होती है, जिंदल हमलोगो को बहुत सारा सुविधा दिया है, हमारे पूरे क्षेत्र का विकास भी हुआ है जिंदल की तरफ से।

15. अरिपा पटनायक, बुढ़िया – मैं जिंदल का समर्थन करती हूँ।

16. सत्यभामा निषाद, कुंजेमुरा – मैं जिंदल का समर्थन करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे यहा पर पढ़े है और अच्छा विकास हुआ है और बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई–लिखाई कर रहे है इसलिये समर्थन करती हूँ।

17. सुधा साहू – मैं जिंदल का समर्थन करती हूँ।

18. भिखारी लाल साव, पाता – मैं जिंदल का समर्थन करता हूँ।

पीठासीन अधिकारी – अगर और किसी को भी आना है, अपनी बात रखना है तो रख सकते है।

19. श्याम निषाद, तमनार – मैं जिंदल का समर्थन करता हूँ।

20. युवराज चौधरी, लिबरा – मैं जिंदल का समर्थन करता हूँ उससे मेरा पेट चलता है मैं कंपनी में काम करता हूँ।

21. प्रभा सिदार, गोढ़ी – मैं जनसुनवाई का विरोध करती हूँ क्योंकि यहां कोल माईन्स होने से हमारे पर्यावरण को नुकशान पहुचेगा।

22. संतोषी पटनायक, तमनार – मैं जिंदल का समर्थन करती हूँ।

क्षेत्रीय अधिकारी – यदि किसी को भी जनसुनवाई के संबंध में किसी को भी विचार, टीका–टिप्पणी करनी है वो आकर यहा पर अपना पूरा नाम, गांव का नाम बता करके अपने विचार प्रस्तुत कर सकते है। जनसुनवाई में पधारे हुये जनमानस जो भी जनसुनवाई के संबंध में अपने विचार, सुझाव, टीका–टिप्पणी जो भी उनकी राय है वो व्यक्त करना चाहते है तो कैमरे के समक्ष आकर अपना नाम एवं गांव का नाम बताकर विचार रख सकते है।

23. सत्या कुम्हार, तमनार – मैं जिंदल का समर्थन करता हूँ।

पीठासीन अधिकारी – आप सभी को किसी को और अपना पक्ष रखना है जनसुनवाई के बारे में या इस गारे पेलमा सेक्टर 1 माण्ड, रायगढ़ क्षेत्र में जो कोयला क्षेत्र ओपन कास्ट माईन्स स्वीकृत हो रही है उसके जनसुनवाई के लिये तो आप अपना पक्ष रख सकते है।

पीठासीन अधिकारी – आखिरी के हम 10 मिनट दे रहे है किसी को अगर कोई आपत्ति है या कुछ कहना है तो कह सकते है फिर हम जनसुनवाई की कार्यवाही समाप्त करेंगे। स्थल पर 1000–1200 लोग उपस्थित थे पीठासीन अधिकारी के घोषणा पर भी उपस्थित जनसमुदाय में से लोगो ने अपनी बात नहीं रखी।

पीठासीन अधिकारी – सुनवाई के दौरान लोग यहां उपस्थित हुये थे जिन्होने कुछ प्वाईंट रखे है, मैं इनके रिप्रसेंटेटिव से चाहूंगा कि उसका समाधान बताये एवं उसका ब्रीफ बताये उसके बाद हम सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करेंगे।

परियोजना कंसलटेंट श्री बी.आर. चौधरी – सबसे पहले तो जो यहां पधारे गणमान्य लोगो ने अपने प्वाईंट रखे है उसके लिये मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये बात सही है कि जो भी खदान होती है उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है लेकिन उसके लिये भारत सरकार के और विभिन्न अथारिटी के मापदण्ड होते है उस मापदण्ड के अंदर पर्यावरण को और उसके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये स्टैंण्डर्ड होते है उसके अंदर मेटेनेंस रखना पड़ता है। तो इस माईन्स के लिये जैसे पाल्यूशन होगा वह है ट्रांपोर्टेशन तो ट्रांपोर्टेशन के लिये कोल माईन्स से प्लांट तक पाईप कन्व्हेयर से होगा और जो सरप्लस कोल होगा वो रेलवे साईडिंग होगा प्रपोज्ड रेलवे साईडिंग से। तो आउटसाईड लीज एरिया कोई भी कोल ट्रांपोर्टेशन बाईरोड नहीं होगा। दुसरा वाईल्ड लाईफ से रिलेटेड है, प्लांटेशन, पाल्युशन से रिलेटेड है तो आस–पास के क्षेत्रों में हमने यह प्लान रखा है कि आस–पास के ग्रामीण जो किसान है उसको और ग्रामीणों को हम 3 लाख 32 हजार पौधे 31 साल की जो लाईफ है इस ओपन कास्ट में उसमें वितरित करेंगे और इसमें जो 16 हजार पौधे कट होंगे उसके अगेन्स में 33 हजार पौधे हम लगायेंगे इसमें 0. 83 करोड़ का कास्ट रखा है हमने। इसमें जो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिये हमने 73 करोड़ का प्रावधान रखा है और उसका एनवल कास्ट भी रखा है इस प्रकार हम पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखेंगे और किसानों का जो मुआवजा है वो नियमानुसार 4 गुना दिया जायेगा जो अभी कमिट किया गया है। वाटर लेबल को पूरा मानीटरिंग किया जायेगा। धन्यवाद।

कंपनी प्रतिनिधि श्री राजेश दुबे – जिंदल प्रबंधन की तरफ से मैं यह कहना चाहूंगा कि हम लोग इसका साईटिफिक तरीके से माईनिंग करेंगे, कोल ट्रांसपोर्टेशन कन्व्हेयर के थ्रु पॉवर प्लांट में किया जायेगा और पर्यावरण के सभी नियमों का पालन विभाग के द्वारा मिलकर किया जायेगा और शासन के और विधि के अनुसार किया जायेगा। धन्यवाद।

पीठासीन अधिकारी – संपूर्ण लोकसुनवाई की विडियोग्राफी की गई है लोकसुनवाई में उपस्थित सभी लोगो का धन्यवाद। आज की लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की जाती है।

(नवीन चंद्र मालवीय)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ (छ.ग.)

(अपूर्व प्रियेश टोप्पो)
अपर कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)